



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22956-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **1459/2026**

आशीष प्रताप @ आशीष प्रताप चंदेल एवं 2 अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : दिनेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्तमान मामले में विवेचना के दौरान बी.एन.एस. की धारा 64 और पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 भी जोड़ दी गई हैं।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और कथन किया कि वह रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और बेहतर विवरण के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. किए गए कथन के आलोक में, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

ज़फ़र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"